

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित

प्रधान कार्यालय, न्यू मार्केट, तात्या टोपे नगर, भोपाल (म0प्र0)
फोन कार्या. 0755-2674738, फैक्स 0755-2674718

वाहन विक्रय सूचना

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के निम्नलिखित वाहन "जहाँ हैं, जैसी हैं" की स्थिति में विक्रय किया जाना है। वाहनों का अवलोकन बैंक मुख्यालय, टी.टी. नगर भोपाल में कार्यालयीन समय (अवकाश के दिनों को छोड़कर) में किया जा सकता है। इच्छुक पार्टियों/व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रत्येक वाहन के लिये पृथक-पृथक आवेदन पत्र 500/- मात्र में बैंक से प्राप्त करने होंगे। सीलबंद निविदाएँ पृथक - पृथक वाहन के लिये पृथक - पृथक धरोहर राशि रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)} बैंक के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ दिनांक 09.03.2018 को दोपहर 2.00 बजे तक बैंक कार्यालय में जमा करना होगा एवं मुहर बंद निविदाएँ दिनांक 12.03.2018 को अपराह्न 01.00 बजे बैंक मुख्यालय भोपाल में खोली जावेंगी। अन्य नियम व शर्तें कार्यालयीन दिवस में देखे जा सकते हैं। किसी भी समय बिना कारण बताये प्राप्त आवेदनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार "प्रभारी प्रबंध संचालक" को होगा। विज्ञापन एवं शर्तें बैंक की वेबसाइट www.apexbank.in पर भी देखी जा सकती हैं। विक्रय योग्य वाहनों का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्रं. | वाहन क्रमांक | मेक | मॉडल | चलित किमी | ईंधन |
|-------|--------------|-------------|------|-----------|------|
| 1 | MP04CK 7339 | Tata Safari | 2013 | 243200 | डीजल |
| 2 | MP04CN 2887 | Fortuner | 2014 | 167000 | डीजल |
| 3 | MP09MZ0010 | Fortuner | 2010 | 311000 | डीजल |

प्रभारी प्रबंध संचालक



वाहन नीलामी की नियम व शर्तें

1. म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, के वाहन "जहाँ है, जैसी है" की स्थिति में खुली बोली / बंद नीलामी से विक्रय किया जाना है ।
2. वाहनो की बंद नीलामी समिति के समक्ष दिनांक 12/03/2018 को बैंक मुख्यालय में पूर्वाह्न 1.00 बजे की जावेगी। निविदाकर्ता अपने साथ एक या दो व्यक्तियों को नीलामी स्थल पर ला सकता है ।
3. इच्छुक पार्टी/व्यक्ति को वाहन की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिये प्रत्येक वाहन हेतु पृथक-पृथक धरोहर राशि देय होगी जिसके अंतर्गत फारच्युनर एवं टाटा सफारी हेतु रू. 20,000/- (रू. बीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो प्रभारी प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल के नाम से भोपाल पर देय हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करते हुये दिनांक 09/03/2018 को दोपहर 2.00 बजे तक जमा करना अनिवार्य है ।
4. वाहनो के विक्रय हेतु आफसेट मूल्य(प्रारक्षित मूल्य) से कम राशि की बोली स्वीकार नहीं की जावेगी । विक्रय किये जाने वाले वाहनो का विवरण निम्नानुसार है :-

| कं. | वाहन क्रमांक | मेक | वर्ष | ईंधन | आफसेट मूल्य |
|-----|--------------|-------------|------|------|--------------|
| 1. | MP04CN 2887 | Fortuner | 2014 | डीजल | 11,50,000.00 |
| 2. | MP09MZ0010 | Fortuner | 2010 | डीजल | 7,75,000.00 |
| 3. | MP04CK 7339 | Tata Safari | 2013 | डीजल | 4,80,000.00 |

(उपरोक्त वाहनो का रोड टैक्स लाईफ टाईम पैड है ।)

निविदा आवेदन पत्र पर उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होना चाहिये, जिसके नाम से वाहन अंतरित होना है ।

5. वाहन विक्रय की ऑफर राशि स्वीकृत होने की दशा में उच्चतम बोलीकर्ता की धरोहर राशि ही समायोजित की जावेगी एवं अन्य बोलीकर्ताओ की धरोहर राशि का डीडी वापिस कर दिया जावेगा । बैंक द्वारा वापिस किये गये किसी भी डीडी का समायोजन सफलबोलीकर्ता के पक्ष में नहीं किया जावेगा ।
6. वाहन विक्रय का आफर स्वीकृत होने पर, वाहन विक्रय की एकमुश्त राशि तीन दिवस में जमा कराना अनिवार्य होगा एवं वाहन "जहाँ है, जैसी है" की स्थिति में उक्त स्थान से उठाना अनिवार्य है अन्यथा निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि राजसात की जाकर द्वितीय उच्चतम निविदाकर्ता को आफर की गई राशि पर वाहन विक्रय किया जावेगा । अन्यथा की स्थिति में नीलामी निरस्त की जाकर पुनः नीलामी की प्रक्रिया की जावेगी ।
7. बोलीकर्ता का आफर स्वीकृत होने के पश्चात् कार्यालय से बोलीकर्ता के नाम से ही वाहन का केवल विक्रय पत्र दिया जावेगा । **विक्रित वाहन का आधिपत्य क्रेता द्वारा नाम ट्रांसफर कराये जाने के उपरांत किया जावेगा** । आर.टी.ओ. कार्यालय आदि से संबंधित समस्त औपचारिकतायें क्रेता को स्वयं के व्यय पर कराना होगी ।
8. विक्रय योग्य वाहन म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मुख्यालय परिसर, टी.टी. नगर, भोपाल में पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक(अवकाश के दिवसों को छोड़कर) देखे जा सकते हैं ।
9. प्रत्येक वाहन के लिये पृथक-पृथक आवेदन प्रपत्र/बंद निविदा एवं पृथक-पृथक धरोहर राशि जमा करना अनिवार्य होगा ।
10. विक्रित वाहन का बीमा क्रेता द्वारा कराया जावेगा, बीमा ट्रांसफर नहीं किया जावेगा ।
11. बिना कोई कारण बताये नीलामी स्थगित करने या तिथि परिवर्तन करने का अधिकार "प्रभारी प्रबंध संचालक" म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित" को होगा ।
12. वाहन क्रेता द्वारा वाहन मूल्य के साथ समस्त शासकीय करों एवं उपकर आदि का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा ।
13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद का क्षेत्र माननीय सहकारी न्यायालय, भोपाल मध्यप्रदेश रहेगा ।



प्रभारी प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित